सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 3, बुधवार, शाके 1943–अगस्त 25, 2021
Bhadra 3, Wednesday, Saka 1943- August 25, 2021

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 19, 2021

संख्या प.10(11)नविवि/3/2013 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.07.2013 को ''संस्थागत उप नगर किशनगढ बास'' हेतु जारी की गई अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए उप नगर नियोजक, अलवर को किशनगढ बास, अलवर के नगरीय क्षेत्र जिसमें तहसील किशनगढ बास के निम्नलिखित 18 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान-2041 बनाने हेतु नियुक्त करती हैः-

क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम	क्रम सं	राजस्व ग्रामों के नाम
1	कुलताजपुर	10	टहटड़ा
2	छतरपुर	11	टांकाहेडी
3	झिरन्डिया	12	नूर नगर
4	तहनोली	13	बास कृपाल नगर
5	बम्बोरा	14	किषनगढ़ बास
6	बाघोर	15	गंज
7	खेडला	16	दयालपुर
8	ईस्माइलपुर (खैरथल-ईस्माइलपुर-किषनगढ़ बास रोड के उत्तर का क्षेत्र)	17	ओदरा
9	रानोली	18	जाटका

राज्यपाल की आज्ञा से,
नवनीत कुमार,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।